

::कार्यालय-ज्ञापः

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों, स्थानान्तरण सत्र-2022-23 हेतु शासनादेश संख्या-124/XXX-2-22-30(13)2017 दिनांक-08.04.2022 द्वारा जारी निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-1/46628/2022 दिनांक 30 जून, 2022 द्वारा स्थानान्तरण हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

क्रम सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1-	श्री महेश वर्मा, वरिष्ठ सहायक	रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0 रुड़की (मु0-देहरादून)	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 टिहरी	17(1) (क)

1- सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।

2- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

3- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

4- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

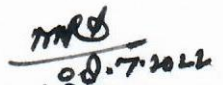


(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, रा0मा0/क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून/पौड़ी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, 10वाँ रा0मा0/08वाँ वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून/टिहरी।
4. अधिशासी अभियन्ता, रा0मा0/प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुड़की(मु0-देहरादून)/टिहरी।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी।
6. अधिशासी अभियन्ता/आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्री महेश वर्मा, वरिष्ठ सहायक, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रुड़की(मु0-देहरादून)।
8. गार्ड फ़ाइल।



प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

8/7/22



पत्रांक:- 428/32 व्यग(वरिष्ठसहायक)-अधि-उ०/22

दिनांक- 8/07/2022

::कार्यालय-ज्ञापः

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों, स्थानान्तरण सत्र-2022-23 हेतु शासनादेश संख्या-124/XXX-2-22-30(13)2017 दिनांक-08.04.2022 द्वारा जारी निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-1/46628/2022 दिनांक 30 जून, 2022 द्वारा स्थानान्तरण हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को कार्यरहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1-	श्री अनित कुमार, वरिष्ठ सहायक	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० रुड़की	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० चम्बा	17(1) (क)

1- सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।

2- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

3- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

4- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून/पौड़ी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल/०८वॉ वृत्त, लो०नि०वि०, हरिद्वार/टिहरी।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रुड़की/चम्बा।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, रुड़की/चम्बा।
6. अधिशासी अभियन्ता/आई०टी० हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो०नि०वि० देहरादून को इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्री अनित कुमार, वरिष्ठ सहायक, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रुड़की।
8. गार्ड फ़ाइल।



8.7.2022

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

8/7/22



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

व्यवस्थापन "ग" वर्ग

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-eicpwwd@nic.in

पत्रांक:- 424/32 व्यग(वरि0सहा0)-अधि0-उ0/22

दिनांक- 07/07/2022

::कार्यालय-ज्ञापः

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों, स्थानान्तरण सत्र-2022-23 हेतु शासनादेश संख्या-124/XXX-2-22-30(13)2017 दिनांक-08.04.2022 द्वारा जारी निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-1/46628/2022 दिनांक 30 जून, 2022 द्वारा स्थानान्तरण हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को कार्यरित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1-	श्री मोहम्मद अहमद, वरिष्ठ सहायक	रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0 रुड़की(मु0-देहरादून)	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा	17(1) (क)

1- सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।

2- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

3- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

4- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, रा0मा0/क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून/अल्मोड़ा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, 10वां रा0मा0/प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून/अल्मोड़ा।
4. अधिशासी अभियन्ता, रा0मा0/प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुड़की(मु0-देहरादून)/अल्मोड़ा।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/अल्मोड़ा।
6. अधिशासी अभियन्ता/आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्री मोहम्मद अहमद, वरिष्ठ सहायक, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रुड़की(मु0-देहरादून)।
8. गार्ड फ़ाइल।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
07.07.2022